



(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

/2017

III/मिगरानी/अनूपपुर/भूरा/2017/3935

अशोक कुमार छिब्बर पिता केदारनाथ
छिब्बर निवासी- ग्राम सकरिया तहसील व
जिला अनूपपुर (म.प्र.) --आवेदक

विरुद्ध

1. शेषमणि पटेल पिता मोलई पटले,
2. देवेन्द्र पटेल पिता शेषमणि पटेल, दोनों
निवासी- ग्राम सकरिया तहसील व जिला
अनूपपुर (म.प्र.)
3. मनोज श्रीवास्तव पिता श्री संतोष कुमार
श्रीवास्ता, निवासी- अमरकंटक रोड़
अनूपपुर (म.प्र.)
4. डॉ. सुनील पुत्र श्री भगवानलाल, निवासी-
रीजनल हॉस्पिटल एस.टी.एफ. नौरोजबाद
कोलरी जिला उमरिया (म.प्र.)
5. रामायण प्रसाद द्वितवेदी पिता श्री के.पी.
द्विवेदी,
6. संजय गुप्ता पिता श्री मोतीलाल गुप्ता,
दोनों निवासीगण- कोओरपरेटिव जमुना
कौलरी तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

---अनावेदकगण

विनोद कुमार कोठारे

16.10.17

16-10-17

पेश दिनांक 31-10-17

विनोद कुमार कोठारे
एस.टी.एफ.
ग्वालियर
16-10-2017

न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील जिला अनूपपुर,
द्वारा प्रकरण क्रमांक 528/रीडर/2017 में पारित आदेश
पारित दिनांक 20/09/2017 एवं की जा रही कार्यवाही
के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा
50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नकशा तरमीम के विषय में की जा रही कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 20/09/2017 अवैध, अनुचित

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - VII/R/अनुपूर/भू.स. 12017/3935 जिला - अनुपूर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....वै.सि.सि.सि...... अनुपूर.....के प्रकरण क्रमांक 528/1917/भू.स...... में पारित आदेश दिनांक 20.9.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु वै.सि.सि.सि. अनुपूर..... को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.10.19 को वै.सि.सि.सि. अनुपूर..... के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(महेश/चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	